दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018*

(2018 का अधिनियम सं० 22)

(अंश कतिपय)

[*11 अगस्त, 2018*]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह 21 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

* * * * * * *

अध्याय 4

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

10. धारा 26 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) की धारा 26 के खण्ड (क) के परंतुक में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

11. धारा 154 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) में,—

(i) पहले परंतुक में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) दूसरे परन्तुक के खण्ड (क) में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

* राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 11 अगस्त, 2018 को प्राप्त हुई; अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 1 दिनांक 11-8-2018 पृष्ठ 1-7 पर प्रकाशित।

Scanned by CamScanner

12. धारा 161 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उपधारा (3) के दूसरे के परन्तुक में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

13. धारा 164 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5क) के खण्ड (क) में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

14. धारा 173 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में,—

(i) उपधारा (1क) में ''किसी शिशु के बलात्कार के सम्बन्ध में अन्वेषण उस तिथि से तीन माह के भीतर पूरा किया जाएगा'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ङ के सम्बन्ध में अन्वेषण उस तारीख से, दो मास के भीतर पूरा किया जाएगा'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ज) में, ''धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

15. धारा 197 का संशोधन—दण्ड संहिता की धारा 197 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में ''धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

16. धारा 309 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) के परन्तुक में ''भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, तब जाँच या विचारण, यथासंभव'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, तब जाँच या विचारण'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

17. धारा 327 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उपधारा (2) में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

18. धारा 357ख का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता (1980 का 45) की धारा 357ख में ''भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 376कख, 376घ, धारा 376घक और धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

Scanned by CamScanner

19. धारा 357ग का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ग में "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

20. धारा 374 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) जब भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ङ के अधीन पारित किसी दण्डादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।"।

21. धारा 377 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) जब भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ङ के अधीन पारित किसी दण्डादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।"।

22. धारा 438 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा की कोई बात भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376कख या धारा 376घक और धारा 376घख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में लागू नहीं होगी।"।

23. धारा 439 का संशोधन—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 में,—

(क) उपधारा (1) में पहले परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 45) की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376कख या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन विचारणीय किसी अपराध का अभियुक्त है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना, ऐसे आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को देगा।"।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376क या धारा 376घक, धारा 376घख के अधीन व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय इत्तिला देने वाले या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकारी होगी।"।

Scanned by CamScanner

24. पहली अनुसूची का संशोधन—भारतीय दण्ड संहिता की पहली अनुसूची में, "1, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध" शीर्ष में,—

(क) धारा 376 से सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
1	2	3	4	5	6
"376	बलात्संग	कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना";	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	किसी पुलिस अधिकारी या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य या किसी कारावास, सुधार गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्री या बाल संस्था के प्रबन्ध में किसी व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबन्ध में किसी व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा बलात्संग और बलात्संग पीड़ित की ओर से भरोसे या प्राधिकार के पद पर किसी व्यक्ति द्वारा या बलात्संग पीड़ित के किसी निकट नातेदार द्वारा बलात्संग	कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना";	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाले व्यक्ति	कठिन कारावास, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।";

Scanned by CamScanner

(ख) धारा 376क से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"धारा 376क ख	बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाला व्यक्ति	कठिन कारावास, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना अथवा मृत्यु	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।";

(ग) धारा 376घ से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएँगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"धारा 376 घक	सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग	आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
धारा 376 घख	बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग	आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना अथवा मृत्यु	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।"।

* * * * * * *

26. निरसन और व्यावृत्ति—(1) दाण्डिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं० 2) को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

Scanned by CamScanner

दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018*

(2018 का अधिनियम सं० 22)

(अंश कतिपय)

[*11 अगस्त, 2018*]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह 21 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

* * * * *

अध्याय 3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन

8. धारा 53 का संशोधन—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् साक्ष्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 53क में, ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

9. धारा 146 का संशोधन—साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के परंतुक में, ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

* * * * *

26. निरसन और व्यावृत्ति—(1) दांडिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं० 2) को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

* राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 11 अगस्त, 2018 को प्राप्त हुई; अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 1 दिनांक 11-8-2018 पृष्ठ 1-7 पर प्रकाशित।

Scanned by CamScanner